न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0–02/2018–19

बद्री राय बनाम राज्य एवं मंगल राज

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16-11-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद बद्री राय, पिता स्व0 देवनाथ राय, महल्ला–ब्रिगहपुर, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना द्वारा अंचलाधिकारी, फुलवारी शरीफ के अतिक्रमण वाद सं0–$\frac{19}{7}$/2017–18 में दिनांक–08.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 के धारा–11 के अन्तर्गत दिनांक–04.05.2018 को दाखिल किया गया है। अभिलेख अवलोकन पश्चात पाया गया कि मामला फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा–बिग्रहपुर, थाना नं0 22, खाता सं0–18, खेसरा सं0–120 एवं 121 गैरमजरूआ आम भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि – 1. अपीलकर्ता स्वत्व वाद सं0–$\frac{13}{9}$ वर्ष 1931–32 में पारित आदेश के आधार पर प्रश्नगत गैरमजरूआ आम भूमि के खेसरा सं0 120 पर दावा करते है। 2. खेसरा सं0–120 पर कभी रास्ता नहीं था, और उस पर अपीलकर्ता का सदा अधिकार रहा है। 3. प्रश्नगत खेसरा सं0 120 पर अनेक मकान बने हुए है और उस पर लोग रह रहे हैं। 4. अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ ने अतिक्रमण वाद सं0–$\frac{19}{7}$/2017–18 में दिनांक–08.03.2018 में जो आदेश पारित किया है, उसमें स्वत्व वाद के निर्णय एवं प्रश्नगत भूमि पर रास्ता नहीं होने तथा वर्षो से कब्जा के तथ्य को नकार दिया है। उक्त आधार पर अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ किये गये कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया। अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के अतिक्रमण वाद $\frac{19}{7}$/2017–18	

में दिनांक–08.03.2018 को पारित आदेश, संलग्न स्वत्व वाद सं0–$\frac{13}{9}$ वर्ष 1931–32 की प्रति एवं वादी के द्वारा दिये गये आवेदन के अवलोकन पश्चात यह पाया गया कि–

1. प्रश्नगत खेसरा सं0–120 एवं 121 गैरमजरूआ आम भूमि है।
2. स्वत्व वाद सं0–13/9 वर्ष 1931–32 जो निर्णय दिये गये है उसमें मूलतः तत्कालीन मध्यवर्ती जमींदारों के बीच भूमि बंदोवस्ती का मामला है और इसमें किसी प्रकार का रैयती हक देने का तथ्य अंकित नहीं है।
3. स्वत्व वाद में भूमि के गैरमजरूआ आम नही होने का कोई तथ्य अंकित नहीं है।

उपस्थित सहायक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि खतियान में गैरमजरूआ आम भूमि रैयतों को बंदोवस्ती का अधिकार तत्कालीन जमींदारों को भी नहीं था। अतः खेसरा सं0–120 एवं 121 गैरमजरूआ आम भूमि है और अचंलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा अतिक्रमण वाद के तहत नियमसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाद गस्त भूमि प्लॉट सं0–120 एवं 121 गैरमजरूआ आम भूमि है और वादी सहित अन्य भूमि के अतिक्रमणकारी है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ वे अविलम्ब विधिसम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगे।

लेखापित एवं संशोधित।

16/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

16/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।